न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 04.04.2018

श्री आशिष पिता पृथ्वीराज गाडरी निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–पंचायती नोहरा मौड़ नवयुवक मण्डल जरिये श्री रतन पिता मोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 20.12.1973 पट्टा संख्या 36 द्वारा ग्राम पंचायत सेमलिया

उपस्थिति : 1– श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री महेश चन्द्र कुमावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 20.12.1973 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर जारी किया गया है जो कि कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। पट्टे में वर्णित भूमि पर उसके बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत सेमलिया से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत सेमलिया का पत्रांक/स्पे./01/18–19 दिनांक 08.05.2018 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित कोई भी पत्रावली/मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है मात्र मूल पट्टा ही है जिसकी

प्रमाणित प्रति प्रेषित की है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र कुमावत ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने कथन किया कि निगराकार सेगवा का स्थायी निवासी है। पट्टे में वर्णित भूमि पर उसके बाप-दादाओं के जमाने से कब्जा चला आ रहा है तथा मकान बना होकर भूखण्ड का उपयोग वर्षो से करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पंचायती नोहरा मौड़ नवयुवक मण्डल के नाम जरिये विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री मोहनलाल के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो कि गलत है श्री मोहनलाल की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र को विपक्षी संख्या 1 बनाया गया है। कभी भी उक्त पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा नोहरा बनाने हेतु कब्जा सिपूर्द नहीं किया। पंचायत द्वारा पट्टा बनाने से पूर्व ना तो मौका निरीक्षण किया और ना ही पर्चा मौका बनाया, ना ही कोई मिसल कायम की, ना ही कोई आम सूचना जारी की जाकर गांव के चौराहे पर सूचना चस्पा की तथा पट्टे की भूमि के आस-पास भी कोई सूचना चस्पा नहीं की। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई तथा न ही पंचायती राज अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की कोई पालना की गई। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं होकर मात्र पट्टा है। अतः पट्टा संख्या 36 दिनांक 20.12.1973 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होने से निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत सेमलिया ने पंचायती नोहरा मौड़ नवयुवक मण्डल के नाम को जो पट्टा संख्या 36 दिनांक 20.12.1973 जारी किया गया है उक्त पट्टे के भूखण्ड पर कभी मौड़ समाज का कब्जा नहीं रहा है ना ही मेरा कब्जा या मेरे पिता का कोई कब्जा रहा है और ना ही मौड़ समाज या मौड़ नवयुवक मण्डल के किसी व्यक्ति का मैने कब्जा देखा है। उक्त भूखण्ड पर वर्षो से निगराकार का कब्जा मैने देखा है निगराकार ही उक्त भूखण्ड का उपयोग-उपभोग करता आया है और निगराकार आशीष ही मकान बनाकर निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे पट्टा जारी किया है जो कि गलत है मेरे पिताजी की मृत्यु हुवे वर्षो हो गये हैं मैने कभी मौड़ समाज का कब्जा नहीं देखा है। उक्त पट्टा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली/मिसल उपलब्ध नहीं होने का अंकन करना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं

प्रकरण संख्या 02/2018 (नि.पं.)
श्री आशिष गाडरी निवासी सेगवा तहसील चित्तौड़गढ़ बनाम पंचायती नोहरा मौड़ नवयुवक मण्डल जरिये श्री रतनलाल पिता मोहनलाल शर्मा निवासी सेगवा तहसील चित्तौड़गढ़ वगैरा

की गई। पंचायत के सदस्यों द्वारा पर्चा मौका एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है।

विपक्षी संख्या 1 ने भी उक्त पट्टे की भूमि पर मौड़ समाज, मौड़ नवयुवक मण्डल, विपक्षी संख्या 1 स्वयं का या उसके पिता का कब्जा नहीं होकर निगराकार का ही मकान निर्मित होकर, निगराकार का ही कब्जा होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 20.12.73 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)